राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 861/2024

रामकरण गुर्जर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त सह उप सचिव, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर सह जिला निर्वाचन अधिकारी, अलवर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
5. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति उमरैण, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024
आदेश की दिनांक : 22.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गौतम, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति उमरैण, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के पंचायत समिति थानागाजी अलवर/थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2017 पंचायत उमरैण, अलवर में हुई थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2023 (अनुलग्नक–1) निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा जारी किया गया है जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह आलौच्य आदेश जारी करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। अपीलार्थी का वर्तमान स्थानान्तरण/पदस्थापन स्थान पंचायत समिति थानागाजी अलवर/थानागाजी विधानसभा क्षेत्र पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर में आता है तथा पत्र दिनांक 18.01.2024 एवं 07.02.2024 द्वारा थानागाजी एवं राजगढ़ के संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एलडीसी के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि कुल 19 पंचायत समिति थानागाजी में अतिरिक्त एलडीसी कार्यरत है तथा पंचायत समिति राजगढ़ में कुल 12 एलडीसी कार्यरत है। स्थानांतरण का आदेश धारा 89(8)(ii) का उल्लंघन करते हुए सीईओ, जिला परिषद अलवर द्वारा पारित किया जाएगा। माननीय

उच्च न्यायालय द्वारा मोहन लाल गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी यही कानून निर्धारित किया गया था। जिला परिषद की स्थापना समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति द्वारा एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में और पंचायत समिति के भीतर दोनों पंचायत समिति के प्रधानों की सहमति से स्थानान्तरण किया जा सकता है, जबकि पंचायत समितियों के प्रधान ने अपीलार्थी को स्थानांतरित करने की सहमति नहीं दी है। अपीलार्थी का स्थानांतरण दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है तथा किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पंचायत समिति उमरैण, अलवर में निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जारी दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर से पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर/थानागाजी विधानसभा क्षेत्र किया गया है। अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति उमरैण में फरवरी 2019 से कार्यरत है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव–I ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखा गया है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कनिष्ठ सहायक के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत् लिखा गया है न कि अपीलार्थी को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्देशित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आदेशित करते हुये जारी किया गया है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को समग्र रूप से दृष्टिगत रखते हुए अपील में कोई आलोच्य आदेश (Impugned Order) नहीं है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है। अतः अपील के कारण (Cause of action regarding appeal) का पूर्णतः अभाव है। अतः हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण अपील बिना किसी कारण के अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, जो परिपक्व नहीं (Premature) होने के आधार पर अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य